संख्या:-65/2024/आई692407/001-303आ0/23-5002-002-45-2024
(कम्प्यूटर क्र0-1828370)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद व कानपुर नगर के 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-9302/CE-BLD/INS/MRT/2024-25, दिनांक 28.06.2024 एवं सं0-8922/CE-BLD/INS/KNP/2024-25, दिनांक 31.05.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद व कानपुर नगर के 02 कार्यों हेतु स्वीकृत लागत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 223.00 लाख(रू0 दो करोड़ तेईस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत/पुनरीक्षित धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	क्षेत्र से मांग	मुख्यालय द्वारा संस्तुत धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(धनराशि लाख रू0 में)					
1	77/2023/001-135आ0-23-5002-002-5-2023 /14भवन/2023, दिनांक 30.03.2023 एवं 172/2023/आई406142/001-341आ0/23-5002-002-46-2023-03भवन-2020टीसी दिनांक 12.10.2023	गाजियाबाद में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के विस्तारीकरण के अन्तर्गत 02 वी0आई0पी0 कक्ष, 08 साधारण कक्ष एवं 01 मीटिंग हाल का निर्माण कार्य।	470.03	43.07	426.96	251.96	00.00	175.00	153.65	100.00	100.00
2	62/2017/123आ0/23-5-17-38(भवन)/2017, दि0 26.10.2017 एवं 39/2018/69आ0/23-5-18-38(भवन)/2017, दिनांक 15.05.2018 एवं 20/2019/01आ0/23-5-19-38(भवन)/2017, दिनांक 08.03.2019 (पुनरीक्षण) एवं 43/2019/126आ0/23-5-19-09(भवन)/2018 टीसी-1, दिनांक 13.08.2019 एवं 11/2021/381आ0/23-5-20-02(भवन)/2018 टीसी, दि0 18.01.2021	जनपद कानपुर नगर में कैण्ट स्थित सर्किट हाउस में प्रेसीडेन्सियल कक्ष, वी0वी0आई0 पी0 कक्ष, पार्किंग, बाउण्ड्रीवाल एवं पार्किंग पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1597.21	0.00	1597.21	1394.03	00.00	203.18	123.00	123.00	123.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	एवं 47/2021/422आ0/23-5-20-31(भवन)/2017 टीसी, दि0 18.03.2021 (पुनरीक्षण) एवं 102/2021/218आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 22.09.2021 एवं 05/2022/396आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 12.01.2022 एवं 19/2022/47आ0/23-5-22-09(भवन)/2018, दिनांक 23.05.2022 एवं 26/2023/001-26आ0/23-5-23-09भवन-2018टीसी, दिनांक 09.02.2023 एवं 110/2023/001-201आ0/23-5-23-09भवन-2018टीसी दिनांक 20.06.2023										
			योग :-					**378.18**	**276.65**	**223.00**	**223.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दि0 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,23,00,000(रूपये दो करोड़ तेईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512100 निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-65/2024/आई692407/001-303आ0(1)/23-5-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी गाजियाबाद व कानपुर नगर।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद व कानपुर नगर ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र व कानपुर क्षेत्र ,लो0नि0वि0
11- अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्तव कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, कानपुर।
14- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।